

1 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 334 / 2016

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 334 / 2016

संस्थापित दिनांक 23 / 06 / 2016

फाईलिंग नम्बर-3007622016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. मोहकम पुत्र गिरवर जाटव उम्र 37 साल
व्यवसाय मजदूरी निवासी ग्राम रूरी का पुरा
पुलिस थाना गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा-354 एवं 323भा0द0स0)
(राज्य द्वारा एडीपीओ-श्री प्रवीण सिकरवार ।)
(आरोपी द्वारा अधिवक्ता-श्री बाबूराम चौरसिया ।)

::- निर्णय -::

(आज दिनांक 16 / 01 / 17 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 04 / 03 / 16 को 12:00 बजे अभियोक्त्री के चने के खेत कठवा हाजी मोजा गोहद में अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने एवं उसी समय अभियोक्त्री की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु भादस की धारा 354 एवं 323 के अंतर्गत आरोप हैं।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 04 / 03 / 16 को दिन के करीबन 12:00 बजे अभियोक्त्री अपने चने वाले खेत पर गई थी वहां पर आरोपी मोहकम सिंह आया था। आरोपी न अभियोक्त्री से कहा था कि वह खेत पर क्यों आई है अभियोक्त्री ने कहा था कि वह गाय भगाने आई है तभी आरोपी ने बुरी नियत से अभियोक्त्री का हाथ पकड़ लिया था। अभियोक्त्री ने हाथ छुड़ाया था तो उसने अभियोक्त्री को धक्का दे दिया था जिससे वह गिर पड़ी थी और उसके बाये हाथ की कोहनी एवं कंधे पर चोट आ गई थी उसके चिल्लाने पर मौके पर गजराज सिंह एवं अमर सिंह जाटव आ गये थे जिन्होंने घटना देखी थी। अभियोक्त्री की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना गोहद में अप0क065 / 16 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया था साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में

विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अभियोक्त्री द्वारा आरोपी से स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी को पूर्व में ही भा0द0स0 की धारा 323 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपी के विरुद्ध मात्र भा0द0स0 की धारा 354 के अंतर्गत विचारण शेष है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 04/03/16 को 12:00 बजे अभियोक्त्री के चने के खेत कटवा हाजी मौजा गोहद में अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से अभियोक्त्री आ0सा01 एवं नरेन्द्र सिंह आ0सा02 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोक्त्री आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालीन कथन से लगभग एक डेढ़ साल पहले दिन के 12-1 बजे की है वह गाय भगाने अपने खेत पर गई थी तो आरोपी मोहकम सिंह से उसका मुंहवाद हो गया था अन्य कोई बात नहीं हुई थी उसने इसी बात की रिपोर्ट थाना गोहद में की थी जो प्र0पी01 है जिस पर उसने अपना निशानी अंगूठा लगाया था नक्शा मौका प्र0पी02 है जिस पर उसने अपना निशानी अंगूठा लगाया था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि मोहकम ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि जब उसने अपना हाथ छुड़ाया था तो मोहकम ने उसे धक्का दे दिया था। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने उक्त बात अपनी रिपोर्ट प्र0पी01 एवं पुलिस कथन प्र0पी03 में पुलिस को लिखाई थी।

8. साक्षी नरेन्द्र सिंह आ0सा02 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि घटना उसके न्यायालीन कथन से लगभग एक डेढ़ साल पहले दिन के 12-1 बजे की है। उसकी पत्नि मालती का आरोपी मोहकम से गाय भगाने के उपर मुंहवाद हो गया था अन्य कोई बात नहीं हुई थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि मोहकम ने उसकी पत्नि का बुरी नियत से हाथ पकड़ लिया था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि मोहकम ने उसकी पत्नि को धक्का दे दिया था।

09. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

10. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोक्त्री आ0सा01 ने अपने कथन में यह बताया है कि उसका आरोपी से मुंहवाद हो गया था एवं मुंहवाद के अतिरिक्त अन्य कोई बात नहीं हुई थी। साक्षी नरेन्द्र सिंह आ0सा02 ने भी अपने कथन में उसकी पत्नी अभियोक्त्री का आरोपी से गाय भगाने के उपर मुंहवाद होना बताया है एवं व्यक्त किया है कि अन्य कोई बात नहीं हुई थी। उक्त दोनों ही साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उक्त दोनों ही साक्षियों ने इस तथ्य से इंकार किया है कि झगड़े के दौरान आरोपी मोहकम सिंह ने अभियोक्त्री का बुरी नियत से हाथ पकड़ लिया था स्वयं अभियोक्त्री आ0सा01 ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया था।

11. इस प्रकार अभियोक्त्री आ0सा01 एवं नरेन्द्र सिंह आ0सा02 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं इस तथ्य से इंकार किया गया है कि आरोपी ने अभियोक्त्री का बुरी नियत से हाथ पकड़ा था। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपी ने घटना दिनांक को अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया था। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

12. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करें यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।

13. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 04/03/16 को 12:00 बजे अभियोक्त्री के चने के खेत कटावा हाजी मौजा गोहद में अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी मोहकम जाटव को भादस की धारा 354 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

14. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

15. प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं हैं।

स्थान – गोहद

दिनांक – 16-1-2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित

कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)